--जरिये ई--मेल--

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : स्था0/2023/26 दिनांक : 29-05-23

:: कार्यालय आ दे श ::

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय बून्दी के पत्रांक स्था0/2022/05/02/4357 दिनांक 26.05.2023 से अनुमोदन के पश्चात् **मैं संतोष कुमार मीना, आर.जे.एस.** न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी दं.प्र.सं. की धारा 15(2) व (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **माह जून, 2023** में निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निम्न अंकित तिथि में आवश्यक दांडिक कार्य रिमाण्ड, जमानत, धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान, मृत्युकालिक कथन, सुपुर्दगी, अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य/सेशन कार्य हेतु अपने न्यायालय में वक्त प्रातः 09.00 ए.एम. से दोपहर 12.00 पी.एम.तक करने के लिये आवश्यक रूप से अधिकृत करता हूँ --

माह जून, 2023

क्र.सं.	नाम अधिकारी व पद	ड्यूटी की दिनांक	मोबाईल नम्बर
1.	श्रीमती सीमा शर्मा, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली जिला बून्दी	04/06/2023	9828325726
2	श्री मयंक पालीवाल, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवाँ जिला बून्दी	10/06/2023	9509484865
3	श्री करन सिंह, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तालेड़ा, जिला बून्दी	11/06/2023	9460012914
4	श्री सुयश, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम--1, बून्दी	18/06/2023	7976762565
5	श्री विकास नेहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, केशोरायपाटन, जिला बून्दी	24/06/2023	9950348629
6	श्रीमती अनुभा सिंह, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, केशोरायपाटन, जिला बून्दी	25/06/2023	8529211353
7	श्रीमती रेनू शकीत, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी	29/06/2023	9414945219

नोट :--

1. उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा किन्हीं परिस्थितियों में **पूर्व/पश्चात्** दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्य दिवस कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।

2-- उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो उनके स्थान पर उक्त पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु विशेष कारणों पर उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

3-- अभियुक्तगण को निर्धारित समय ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। संबंधित थानाधिकारी के द्वारा मात्र विशेष एवं आपवादिक परिस्थितियों में ही मुलजिम को निवास पर पेश किया जावे। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

4-- नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे व इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय का परित्याग करें।

5-- अवकाश के दिन यदि संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा लिंक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित है तो वह अपने परिक्षेत्र से संबंधित उक्त कार्य करेंगे।

6. *दिनांक 29.06.2023 की रिमाण्ड ड्यूटी का आदेश 'ईदुल अजहा' का अवकाश रहने/घोषित होने के दिन के लिए प्रभावी होगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)
29/5/23

क्रमांक : सामान्य/2023/ 1001 – 1009 दिनांक : 29-05-23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी.

(2) जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें। (3) संबंधित पीठासीन अधिकारी (4) जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक, प्रहराधिकारी, भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें। (5) पुलिस कंट्रोल रूम/ए.डी.पी. ऑफिस बून्दी (6) उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बून्दी (7) अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, बून्दी. (8) सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा,बून्दी को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)
29/5/23